ई-मेल/ अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./एलआरसी/पी-84/05/ 804578 दिनांक 20/07/05

जिला कलक्टर,
समस्त ।

विषयः- भू0अ0 कम्प्यूटराईजेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत तहसील की जमाबन्दियों को वार्षिक तैयार करने की प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश ।

प्रसंगः- मण्डल का पत्रांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी/ पी-84/ 05/ 7049- 7080 दिनांक 20.06.05 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार वार्षिक जमाबन्दी तैयार करने हेतु अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते है :-

नामान्तरकरण का कम्प्यूटर जमाबन्दी में इन्द्राज

भविष्य में जो नामान्तकरण सम्पन्न होंगे उनके आधार पर कम्प्यूटर जमाबन्दी में जो नोट लगाया जाना है अथवा उसके आधार पर जो नया खाता खोलना होता है, उसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जावें :-

1 जब कोई नामान्तरकरण स्वीकृत होता है तो उसकी एक प्रति (परत सरकार) ऑफिस कानूनगों को भेजी जावें ।

2 नामान्तकरण की परत सरकार के साथ निम्न दो प्रारूप (Text) भी भेजे जावें । (अ) जमाबन्दी के रिमार्क कॉलम में लगाये जाने वाले नोट का विवरण में प्रारूप (Text) इसमें नपे-तुले शब्द होने चाहिए, जिन्हे कम्प्यूटर ऑपरेटर (बिना परिवर्तन) हूबहू नकल करके कम्प्यूटर में दर्ज करें ।

उक्त प्रारूप नामान्तरकरण की परत सरकार के पीछे एक बोक्स बनाकर उसमें लिखा जाए । नमूना नीचे दिखाया जा रहा है ।

ना. सं. .... दिनांक .... द्वारा जरिये बेचान/ विरासत/आदेश द्वारा तहसीलदार/ ग्राम पंचायत श्री ... . के बजाय श्री ... के हक में खसरा ... रकबा .... का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है ।

(ब) नामान्तरकरण के कारण जो वर्तमान खाते में परिवर्तन होना है अथवा नया खाता/ खाते खोला जाना है उसका अंकन जमाबन्दी के संबंधित अथवा नये खाते के साथ स्थान पर अंकित कर भेजा जावे । इसके आधार कम्प्यूटर ऑपरेटर हूबहू नकल कर वर्तमान खाते में परिवर्तन करेगा अथवा नये खाते खोलेगा ।

पटवारी उपरोक्त प्रारूप 'अ' व 'ब' पर हस्ताक्षर व तारीख भी अंकित करेगा ।

3. ऑफिस कानूनगों नामान्तरकरण की परत सरकार अपने कार्यालय में रख लेगा एवं प्रारूप 'अ' व 'ब' पर हस्ताक्षर मय तारीख करके कम्प्यूटर ऑपरेटर को भेज देगा ।

4. कम्प्यूटर ऑपरेटर दोनो प्रारूप की नकल करके वर्तमान जमाबन्दी में नोट अंकित करेगा एवं वर्तमान खाते में परिवर्तन एवं नये खाते खोलने का कार्य भी तुरन्त करेगा ।

नये खाते खोलने के लिए चौसाला अथवा वार्षिक जमाबन्दी बनने का इन्तजार नहीं किया जावेगा ।

5. कम्प्यूटर ऑपरेटर उपरोक्त परिवर्तन कर उसका प्रिन्ट ऑफिस कानूनगों को प्रमाणीकरण हेतु देगा । प्रमाणीकरण करके ऑफिस कानूनगों उस प्रिन्ट पर "सही पाया" टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर करेंगा इस प्रमाणीकरण कोपी के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर कम्प्यूटर जमाबन्दी में किये गये परिवर्तन को पुख्ता तौर पर सुरक्षित (Save) करेंगा ।

2. . .

6. पुख्ता तौर पर सुरक्षित करने के बाद उसकी एक प्रिन्ट ऑफिस कानूनगों को प्रदान करेगा जो कि परत पटवार होगी एवं ऑफिस कानूनगों उस पर हस्ताक्षर कर पटवारी को उपलब्ध करायेगा ।

7. पटवारी परिवर्तित खाते/ नये खाते की परत पटवार को जमाबन्दी में यथा स्थान रखा लेगा एवं पटवारी यह भी देखेगा की परिवर्तित एवं नये खाते की परत पटवार में कोई त्रुटि तो नही यदि त्रुटि पाई जाये तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त तहसीलदार को दी जाए एवं पटवारी का कर्तव्य होगा की त्रुटि को दुरुस्त करवाए ।

उपरोक्त प्रक्रिया से कम्प्यूटर जमाबन्दी हमेशा आदिनांक रहेगी एवं नये खाते दिन- प्रति दिन जुडते रहेंगे । तथा प्रतिवर्ष नई पूर्ण जमाबन्दी बनाकर तहसील कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

यह नई प्रक्रिया तुरन्त प्रभाव से लागू की जावें ।

सभी सदर कानूनगों यह नई प्रक्रिया लागू कर उप-निबन्धक (भू.अ.), राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर को अ.शा. पत्र द्वारा सूचित करेंगे ।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः राम/सग/ 8079-85 दिनांक 20/07/05

प्रतिलिपीः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
2 निजी सहायक, माननीय सदस्य (भू.अ.), राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
3 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
4 उप-शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5 निजी सहायक, निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
6 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., राजस्थान राज्य ईकाई, कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर ।
7 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।

उप-निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर